रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2010/चैत्र 8, 1932
No. 136] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2010/CHAITRA 8, 1932

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 216(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 42 के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल नियम" कहा जाएगा) में निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"42. भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियर का नियोजन :—

(1) इन नियमों के अनुसार टोही, पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के प्रयोजनार्थ :

(क) टोही परमिट का प्रत्येक धारक एक पूर्ण-कालिक भूवैज्ञानिक नियोजित करेगा,

(ख) पूर्वेक्षण लाइसेंस का प्रत्येक धारक एक पूर्ण-कालिक भूवैज्ञानिक और खनन इंजीनियर नियोजित करेगा,

(ग) खनन पट्टे का प्रत्येक धारक निम्न को नियोजित करेगा—

(i) 'क' श्रेणी की खानों के मामले में, एक पूर्ण-कालिक खनन इंजीनियर और भूवैज्ञानिक,

(ii) 'ख' श्रेणी की खानों के मामले में, एक अंश-कालिक खनन इंजीनियर और एक अंश-कालिक भूवैज्ञानिक :

बशर्ते कि पूर्णरूप से पंजीकृत श्रेणी 'क' खानों के मामले में, खनन इंजीनियरों और भूवैज्ञानियों को खनन के क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता में कार्य करने का न्यूनतम दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो :

बशर्ते यह कि 'ख' श्रेणी की खान के मामले में, उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसार पूर्ण-कालिक आधार पर नियोजित व्यक्ति को अंश-कालिक खनन इंजीनियर के स्थान पर नियोजित रहने की स्वीकृति दी जा सकती है ।

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ,

(i) श्रेणी 'क' खानें निम्नवत् होंगी :

(क) ऐसी पूर्णत: यंत्रीकृत खानें जहां गहरे छिद्र वेधन, उत्खनन, लदान और परिवहन के लिए भारी खनन मशीनरी द्वारा कार्य किया जा रहा है, तथा

(ख) पूर्णत: यंत्रीकृत श्रेणी 'क' खानों को छोड़कर अन्य खानें जहां कुल मिलाकर औसत नियोजन की संख्या एक सौ पचास अथवा भूमि के नीचे खदानों में कार्यरत कामगारों की संख्या पचहत्तर से अधिक हो अथवा कोई ऐसी खान जहां गहरे छिद्र वेधन, उत्खनन, लदान और परिवहन जैसा कोई भी खनन प्रचालन भारी मशीनरी की सहायता से किया जाता है;

(ii) श्रेणी 'क' खानों को छोड़कर अन्य सभी खानें श्रेणी 'ख' खान होंगी :

बशर्ते यह कि, यदि कोई ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई खान श्रेणी 'क' खान है, तो निर्णय के लिए इसे महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को भेजा जाएगा ।

स्पष्टीकरण : अभिव्यक्ति 'औसत नियोजन' का अभिप्राय पिछली तिमाही के दौरान खान के कुल नियोजन के औसत दैनिक नियोजन से है (कार्य दिवसों की संख्या को कार्यरत कामगारों की संख्या से भाग देकर प्राप्त) ।

(3) अंश-कालिक खनन इंजीनियर और भूवैज्ञानिक को अधिकतम छ: पूर्वेक्षण स्थलों अथवा खानों के लिए नियोजित किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे सभी पूर्वेक्षण-स्थल अथवा खानें 50 किलोमीटर के घेरे में स्थित हैं ।

(4) यदि कोई टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे का धारक भूवैज्ञानिक अथवा खनन इंजीनियर है तो वह उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ स्वयं को भूवैज्ञानिक अथवा खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त कर सकता है ।

(5) पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे के धारक द्वारा नियोजित खनन इंजीनियर अथवा भूवैज्ञानिक के पास नीचे विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिएं :—

भूवैज्ञानिक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त किसी संस्था सहित, केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या इसके तहत स्थापित अथवा गठित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता ।

खनन इंजीनियर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त किसी संस्था सहित, केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या इसके तहत स्थापित अथवा गठित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त खनन इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता ।

(6) (क) नीचे तालिका में दी गई खानों की श्रेणी के लिए योग्यता और अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति निर्दिष्ट खानों की श्रेणी के संबंध में, अंशकालिक खनन इंजीनियरों के बदले में नियोजित किए जाने के लिए पात्र होगा :

तालिका

योग्यताएं	अनुभव	खानों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)
(i) प्रथम श्रेणी धातुमय खान प्रबंधक के प्रमाणपत्र सहित खनन में डिप्लोमा अथवा भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री ।	शून्य	सभी श्रेणी 'ख' खानें
(ii) प्रथम श्रेणी धातुमय खान प्रबंधक का प्रमाणपत्र धारक ।	प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का अनुभव	सभी श्रेणी 'ख' खानें
(iii) खनन में डिप्लोमा अथवा भूविज्ञान में स्नातकोत्तर या समकक्ष ।	खान में पर्यवेक्षी क्षमता में तीन वर्ष का अनुभव	सभी श्रेणी 'ख' खानें
(iv) भूविज्ञान में स्नातक अथवा द्वितीय श्रेणी धातुमय खान प्रबंधक का प्रमाण पत्र ।	स्नातक के बाद 5 वर्ष का अनुभव अथवा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का अनुभव ।	सभी श्रेणी 'ख' खानें
(v) खान फोरमेन के प्रमाणपत्र सहित माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र ।	खान फोरमेन/मेट के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।	श्रेणी 'ख' की सभी ओपन कास्ट खानें

(ख) खनन इंजीनियर के बदले नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति इन नियमों से उसी प्रकार बद्ध होंगे जिस प्रकार खनन इंजीनियर होते हैं ।

(7) जहां, खान में औसत नियोजन में कमी के कारण, श्रेणी 'क' खान श्रेणी 'ख' खान के रूप में योग्य हो जाती है, तो श्रेणी 'ख' खान के लिए आवश्यक खनन इंजीनियर की नियुक्ति केवल महानियंत्रक अथवा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति से ही की जा सकेगी और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जैसी वह निर्दिष्ट करे ।

[फा. सं. 16/159/2009-खान-6]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सं. सा.का.नि. 1023(अ) दिनांक 24-10-1988 के द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए थे –

1. सं. सा.का.नि. 227 (अ) दिनांक 22-4-1991
2. सं. सा.का.नि. 580 (अ) दिनांक 4-8-1995
3. सं. सा.का.नि. 55 (अ) दिनांक 18-1-2000
4. सं. सा.का.नि. 744 (अ) दिनांक 25-9-2000
5. सं. सा.का.नि. 22 (अ) दिनांक 11-1-2002
6. सं. सा.का.नि. 330 (अ) दिनांक 10-4-2003

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 (hereinafter referred to as the "principal rules") for rule 42, the following rule shall be substituted, namely :—

"42. Employment of geologists and mining engineer

(1) For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules :

(a) every holder of reconnaissance permit shall employ a whole-time geologist;

(b) every holder of prospecting licence shall employ a whole-time geologist and mining engineer;

(c) every holder of a mining lease shall employ, in case of :—

(i) category 'A' mines, a whole-time mining engineer and geologist;

(ii) category 'B' mines, a part-time mining engineer and a part-time geologist :

Provided that in the case of fully mechanized category 'A' mines, the mining engineers and geologists shall have minimum ten years of professional experience of working in a supervisory capacity in the field of mining:

Provided further that in case of category 'B' mines, a person employed in terms of the provisions of sub-rule (6) may be permitted to be employed in lieu of part-time mining engineer.

(2) For the purpose of this rule -

(i) category 'A' mines means

(a) such fully mechanized mines where the work is being carried out by deployment of heavy mining machinery for deep hole drilling, excavation, loading and transport, or

(b) such mines where the number of average employment exceeds one hundred and fifty in all or seventy-five workings below ground, or mines where any of the mining operations like deep hole drilling, excavation, loading and transport is carried out with the help of heavy machinery.

(ii) category 'B' mines means mines other than category 'A' mines :

Provided that if any doubt arises as to whether any mine is a category 'A' mine, it shall be referred to the Controller General, Indian Bureau of Mines for decision.

Explanation : The expression 'average employment' means the average per day of the total employment of the mine during the preceding quarter (obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days).

(3) The part-time mining engineer and geologist can be employed up to a maximum of six prospects or mines, provided that all such prospects or mines are located within a radius of 50 kilometres.

(4) If the holder of a reconnaissance permit, prospecting licence or a mining lease is a geologist or mining-engineer, he may appoint himself as the geologist or mining engineer for the purpose of sub-rule (1).

(5) A mining engineer or geologist employed by the holder of a prospecting licence or mining lease shall possess the qualifications specified below :—

Geologist : A postgraduate degree in Geology granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognized by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 or any equivalent qualification.

Mining Engineer : A degree in Mining Engineering granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognized by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 or any equivalent qualification.

(6) (a) Any person possessing the qualification and experience for the category of mines as laid down in the Table below shall be eligible to be employed in lieu of part-time mining engineers in respect of the category of mines specified.

TABLE

Qualifications	Experience	Category of Mines
(1)	(2)	(3)
(i) Diploma in Mining or Post-graduate Degree in Geology with First Class Matelliferrous Mine Manager's Certificate	Nil	Category 'B' Mines
(ii) Holder of First Class Metalliferrous Mine Manager's Certificate	Two years experience after obtaining the Certificate	Category 'B' Mines
(iii) Diploma in Mining or Postgraduate Degree in Geology or equivalent	3 years experience in supervisory capacity in Mines	Category 'B' Mines
(iv) Graduate in Geology or holder of Second Class Metalliferrous Mine Manager's Certificate	5 years experience after graduation or one year experience after obtaining the Certificate	Category 'B' Mines
(v) Secondary School Leaving Certificate with Mines Foreman's Certificate	5 years experience as a Mine Foreman/Mate	All open cast mines of Category 'B'

(b) The person permitted to be employed in lieu of mining engineer shall be bound by these rules in the same way as the mining engineer.

(7) Where, due to reduction in average employment in the mines, a category 'A' mines, qualifies to become a category 'B' mines, the employment of a mining engineer as required for category 'B' mines may be done only with previous permission in writing of the Controller General or the authorized officer and subject to such conditions as he may specify".

[F. No. 16/159/2009-M. VI]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette, *vide* No. G.S.R. 1023(E) dated 24-10-1988 and subsequently amended by-

1. No. G.S.R. 227(E) dated 22-4-1991
2. No. G.S.R. 580(E) dated 4-8-1995
3. No. G.S.R. 55(E) dated 18-1-2000
4. No. G.S.R. 744(E) dated 25-9-2000
5. No. G.S.R. 22 (E) dated 11-1-2002
6. No. G.S.R. 330(E) dated 10-4-2003

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.